

14/5/2022

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम)

राजस्थान राजस्व लोक अदालत 14.05.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	अप्रार्थीगण	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	इन्द्राराम परमाराम श्रवणराम सागरमल जेदूड़ी/जेठाराम जैसाराम/बालूराम जाट आसपुरा	
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957		
प्रार्थना-पत्र नम्बर -70/2022 GCMS No. 2022/140		
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.05.2022	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत अप्रार्थीगण विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते सुनवाई पत्रावली दिनांक 14.05.2022 को में पेश हो।	
14.5.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का अलवोकन किया गया। ग्राम आसपुरा पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 726/120 में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू- अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट " ए " सहमति पत्र, एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा की गई है। खातेदारान द्वारा सहमति प्रदान की गई है। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना-पत्र काबिल स्वीकार योग्य है,अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार कुचामनसिटी आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)
कुचामन सिटी (नागौर)

सिद्धि लक्ष्मी देवी न्यायिक रजिस्ट्रार
कुचामनसिटी (जिला-नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)



101